International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 503-506 www.ijhssm.org

स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन इतिहास : एक विश्लेषण

जयपाल सिंह राजपूत
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मप्र)

Date of Submission: 14-03-2024 Date of Acceptance: 28-03-2024

सारांश

प्रशासनिक सुविधा हेतु किसी देश को विभिन्न राजनीतिक इकाईयों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रांत, प्रदेश या राज्य कहते हैं। स्वतंत्र भारत में इन राजनीतिक इकाईयों के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य-राष्ट्र निर्माण की अनेक चुनौतियां उभरकर सामने आई। अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों से भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग की गई। संविधान में भारत की एकता व अखंडता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य के लिए एकात्मक स्वरूप वाली संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया तथा अनुच्छेद 01 से 04 तक राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया को स्पष्ट किया। राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया के प्रथम चरण में भाषा, द्वितीय चरण में नृजातीयता और तीसरे चरण में क्षेत्रीय असमानता के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया गया। भाषाई – सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय असमानता, विषम भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदि स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन के प्रमुख कारण रहे हैं। प्रस्तुत शोध पेपर में द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है। पेपर का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन इतिहास का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। इस शोध पेपर द्वारा भारत में राज्य पुनर्गठन इतिहास से नागरिक एवं शोधार्थी जागरूक होगें।

मूलशब्द : राज्य पुनर्गठन, राज्य मांग, भाषा, नृजातीयता, क्षेत्रीय असमानता

प्रस्तावना –

प्रशासनिक सुविधा हेतु किसी देश को अनेक राजनीतिक इकाईयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें प्रांत, प्रदेश या राज्य कहते हैं। भारतीय इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक केंद्रीय सत्ता (मौर्यकाल, गुप्तकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल) के दौरान ये इकाईयां अस्तित्व में थीं। स्वतंत्र भारत में इन इकाइयों के निर्माण का एक लंबा व चुनौतीपूर्ण इतिहास रहा है।

भारत ने स्वतंत्रता एवं विभाजन को एक साथ देखा। स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य-राष्ट्र निर्माण की अनेक चुनौतियां उभरकर सामने आई। विभाजन त्रासदी से सबक लेते हुए संपूर्ण देश को राष्ट्रीय एकता व अखंडता के सूत्र में बांधना तत्कालीन भारतीय सरकार का सर्वप्रमुख कार्य था। प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषित किया कि "पहली बात सबसे पहले और सबसे पहली बात है भारत की सुरक्षा और स्थायित्व" (चंद्र, 2015)

लगभग 550 देशी रियासतें भारतीय भौगोलिक सीमा में थीं। भारत की एकता व अखंडता के लिए इन देशी रियासतों का भारत में एकीकरण जरूरी था, साथ ही क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए देश का सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकीकरण करना भी जरूरी था क्योंकि भारत के विभाजन और अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए अनेक पश्चिमी विचारकों ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी अस्तित्व में नहीं रह पाएगा बल्कि अनेक छोटे – छोटे राष्ट्रों में विभाजित हो जायेगा।

प्रस्तुत शोध पेपर निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है – स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन संबंधी प्रयासों का अध्ययन करना तथा भारत में राज्यों के पुनर्गठन इतिहास का विश्लेषण करना। प्रस्तुत शोध पेपर से स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन संबंधी प्रयासों तथा भारत में राज्यों के पुनर्गठन इतिहास संबंधी विश्लेषणात्मक तर्कों से नागरिक, शोधार्थी एवं छात्र जागरूक होगें।

प्रस्तुत शोध पेपर में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों जैसे – किताब, शोध पेपर, अखबार, वेबसाइट आदि से प्राप्त द्वितीयक तथ्यों का सहारा लिया गया है। वे सभी आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने शोधकार्य के लिए स्वयं

इकट्ठा नहीं करता बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं ।

देशी रियासतों का एकीकरण –

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को नवोदित संप्रभु राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में बने रहने का विकल्प दिया। उस समय लगभग 550 रियासतों ने पूर्व स्वतंत्र भारत के 48 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया था और इसकी आबादी का 28% हिस्सा थीं। ये रियासतें कानूनी तौर पर ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वास्तव में, वे पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। सरदार वल्लभभाई पटेल (भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री) को वीपी मेनन की सहायता से रियासतों को एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया था। देशभक्ति का आह्वान करने से लेकर, उन्हें शामिल होने से इनकार करने की स्थिति में अराजकता की संभावना की याद दिलाने तक, पटेल उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने "प्रिवी पर्स" की अवधारणा भी पेश की – भारत के साथ विलय के समझौते के लिए शाही परिवारों को किया जाने वाला आर्थिक भुगतान।

पटेल के इन प्रयासों से अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं थीं परंतु कुछ रियासतें थीं जो भारत में शामिल न होने पर अड़ी हुए थीं। उनमें से कुछ ने सोचा कि यह स्वतंत्र संप्रभु राज्य का दर्जा हासिल करने का सबसे अच्छा क्षण है , जबकि कुछ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थीं ।

त्रावनकोर उन रियासतों में से पहली थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने से इंकार कर दिया था और भारत के कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया था। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर रियासत भारत में शामिल हो गई।

जोधपुर रियासत में एक हिंदू राजा और एक बड़ी हिंदू आबादी होने के बावजूद उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। सीमावर्ती राज्य के पाकिस्तान में शामिल होने के जोखिम को देखते हुए, पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया। 11 अगस्त 1947 को , जोधपुर के राजा महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जोधपुर राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया।

भोपाल रियासत भी स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहती थी। यहां एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला खान बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन कर रहा था। वह मुस्लिम लीग के घनिष्ठ मित्र थे और कांग्रेस शासन के कट्टर विरोधी थे। प्रजामंडल आंदोलन के परिणामस्वरूप 01 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय किया गया।

हैदराबाद रियासत सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे अमीर थी, जिसमें दक्कन के पठार का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। निज़ाम मीर उस्मान अली रियासत में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी की अध्यक्षता कर रहे थे । वह एक स्वतंत्र राज्य की अपनी मांग पर बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। 13 सितंबर, 1948 को 'ऑपरेशन पोलो' के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया । लगभग चार दिनों तक चली सशस्त्र मुठभेड़ में भारतीय सेना ने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया।

गुजरात के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित जूनागढ़ रियासत 15 अगस्त, 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। इसमें नवाब मुहम्मद महाबत खानजी द्वारा शासित एक बड़ी हिंदू आबादी थी। 15 सितंबर, 1947 को, नवाब महाबत खानजी ने माउंटबेटन के विचारों को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि जूनागढ़ समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। रियासत में 80% हिंदू थे, इसलिए भारत सरकार ने विलय के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया। फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया।

कश्मीर एक रियासत थी जिसमें एक हिंदू राजा प्रमुख मुस्लिम आबादी पर शासन करता था, जो दोनों प्रभुत्वों में से किसी एक में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी। पाकिस्तान ने हथियारों से लैस सैनिकों और आदिवासियों की एक सेना के साथ 24 अक्टूबर 1947 को उत्तर से कश्मीर पर आक्रमण किया। जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद की अपील की. उन्होंने अपने प्रतिनिधि शेख अब्दुल्ला को भारत से मदद मांगने के लिए दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को , महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से भाग गए और जम्मू पहुंचे जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर कर रियासत का भारत संघ में विलय किया। (Drishti IAS, 2019)

इस तरह सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में देशी रियासतों का भारत में सफल एकीकरण किया गया।

धर आयोग एवं जेवीपी समिति -

देशी रियासतों का एकीकरण एक अस्थाई व्यवस्था थी। क्षेत्रीय विविधता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से विशेष रूप से दक्षिण भारत से भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और नेहरु रिपोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाएगा।

भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं , इसके लिए 17 जून 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग) की स्थापना की। आयोग में एसके धर (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश), जगत नारायण लाल (वकील और संविधान सभा के सदस्य) और पन्ना लाल (सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा अधिकारी) शामिल थे। 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि विशेष रूप से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारतीय राष्ट्र के व्यापक हित में नहीं है। इसने मुख्य रूप से भौगोलिक निकटता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और प्रशासन में आसानी के आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की । (Wikipedia, 2023)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में अपने जयपुर अधिवेशन में एक तीन सदस्यीय भाषाई प्रांत समिति समिति की स्थापना की, जिसमें नेहरू, पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे। इस समिति को जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति की स्थापना धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए की गई थी क्योंकि आयोग की रिपोर्ट से व्यापक असंतोष पैदा हुआ था। समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट में धर आयोग की स्थिति की पुष्टि की। समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को खारिज कर दिया । समिति ने राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

संविधान में संघात्मक व्यवस्था, राज्य पुनर्गठन संबंधी प्रावधान एवं राज्यों की 04 श्रेणियां –

भारत की एकता व अखंडता और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखकर संघात्मक व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। संघात्मक व्यवस्था में देश को कई राज्यों में बांटा जाता है। देश में केंद्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें सत्ता के प्रमुख केन्द्र होते हैं। लिखित संविधान अन्तर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। भाषाई – सांस्कृतिक – भौगोलिक विविधता वाले भारत में विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों और लोगों के अधिकारों को स्वीकार, मान्यता व सुरक्षा प्रदान करके लोकतंत्रात्मक भावना व विचारों को बढ़ाने के उद्देश्य से एकात्मक प्रकार की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया ताकि राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाया जा सके। (Sreenivas, 2018)

प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों की 04 श्रेणियां बनाई गईं। पार्ट A राज्य- जो राज्य ब्रिटिश भारत के पूर्व गवर्नर द्वारा शासित प्रांत थे, उन पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल और एक निर्वाचित राज्य विधायिका का शासन था। पार्ट A के नौ राज्यों में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल थे। पार्ट B राज्य- ऐसे राज्य जो बड़ी रियासत या रियासतों के समूह थे और एक राजप्रमुख द्वारा शासित थे और जहां एक निर्वाचित विधायिका भी थी। राजप्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। पार्ट B के आठ राज्यों में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन थे। पार्ट C राज्य- इस कैटेगरी में पूर्व मुख्य आयुक्त के प्रांत और छोटी रियासतें शामिल थीं और प्रत्येक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित किया जाता था। पार्ट C के दस राज्यों में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और विंध्य प्रदेश थे। पार्ट D क्षेत्र- इस कैटेगरी में एकमात्र क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उप राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता था।

संविधान के भाग – 01 के अंतर्गत अनुच्छेद 01 से 04 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों तथा राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 01 स्पष्ट करता है कि इंडिया यानी भारत 'राज्यों का संघ' होगा। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है (भारत विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है), पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा हेतु विभाजित है। अनुच्छेद 02 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा नए राज्यों को गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 03 नए राज्यों के गठन तथा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। संसद किसी एक राज्य में से अथवा दो या अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नवीन राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 04 स्पष्ट करता है कि नवीन राज्यों का गठन, क्षेत्रों व नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाएगा बल्कि इस तरह का कानून सामान्य बहुमत और विधायी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाएगा। (Laxmikant, 2020)

आंध्रप्रदेश राज्य गठन एवं राज्य पुनर्गठन आयोग –

राज्यों की 04 श्रेणियां बनाकर भारतीय क्षेत्र का जो पुनर्गठन किया गया, वह भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को संतुष्ट नहीं कर सका फलस्वरूप सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास राज्य में तेलुगु भाषाई क्षेत्रों से आंध्रप्रदेश राज्य की मांग की गई। एक लंबे लोकतंत्रात्मक आंदोलन के फलस्वरूप 01 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी आंध्रप्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्रप्रदेश राज्य के गठन से देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर नवीन राज्यों की मांग उठने लगीं। परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) गठित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन में

भाषा को मुख्य आधार बनाया साथ ही निम्न चार कारकों को भी आधार बनाया (1) भारत की एकता व सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती (2) भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता (3) वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क (4) देश में नागरिकों के कल्याण हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन (Khosla, 2016)

आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों की 04 श्रेणियां समाप्त की गईं तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 01 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 06 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। 14 राज्य – बिहार, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मैसूर, मद्रास, केरल, जम्मू और कश्मीर, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तथा 06 केंद्रशासित प्रदेश – अंडमान एवं नोकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश थे।

1956 से वर्तमान तक राज्य पुनर्गठन –

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भी भारतीय राजनीति में देश के विभिन्न क्षेत्रों से समय – समय पर भाषा, नृजातीय सांस्कृतिकता, विषम भौगोलिकता, ऐतिहासिक महत्वता, सामरिक महत्वता, क्षेत्रीय – उपक्षेत्रीय असमानता, आर्थिक – सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर नवीन राज्यों की मांगें उठती रहीं।

1960 में बंबई राज्य को भाषाई आधार पर 02 अलग राज्यों में बांट दिया गया – मराठी भाषी महाराष्ट्र राज्य और गुजराती भाषी गुजरात राज्य बनाया गया। 1963 में असम राज्य से नागा पहाड़ी वाले क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य बना। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया – हिंदी भाषी हरियाणा राज्य और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में राज्य बना। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में नृजातीयता के आधार पर त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य बनाए गए। 1975 में सामरिक महत्व के कारण सिक्किम को जनमत संग्रह द्वारा राज्य बनाया गया। 1987 में नृजातीयता के आधार पर मिजोरम राज्य, सामरिक महत्व के कारण अरुणाचल प्रदेश एवं ऐतिहासिकता के आधार पर गोवा राज्य बनाया गया। 2000 में क्षेत्रीय असमानता एवं सामाजिक – आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनाए गए तथा 02 जून 2014 को आंध्रप्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। (Laxmikant, 2020)

वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 08 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में हैं। 28 राज्य – पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिसा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, केरल, गोवा और तमिलनाडु तथा 08 केन्द्र शासित प्रदेश – जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षदीप, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी और दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव।

निष्कर्ष –

स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य-राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के समाधान हेतु भारतीय नेतृत्व द्वारा सार्थक प्रयास किए गए। सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों का भारत संघ में कुशल एकीकरण किया गया। भारत की एकता व अखंडता तथा क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य स्थापित करने हेतु संविधान निर्माताओं ने संविधान में एकात्मक स्वरुप वाली संघात्मक व्यवस्था को अपनाया तथा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया। भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर प्रथम चरण में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया। उत्तर पूर्वी भारत की नृजातीय विविधता के संरक्षण हेतु द्वितीय चरण में उत्तर पूर्वी राज्यों का गठन किया गया। तृतीय चरण में आर्थिक – समाजिक आधार पर क्षेत्रीय विषमता को आधार बनाकर राज्यों का गठन किया गया।

संदर्भ ग्रंथसूची

[1]. Drishti IAS (2019). https://www.drishtiias.com/hindi/paper1/integration-of-princely-states-after-independence.

[2]. Khosla, R. (2016). Exploring the demand for New states. Research journal of social sciences, Vol 23.

[3]. Laxmikant, M. (2020). Indian Polity. McGraw Hill Education Private Limited. Chennai

[4]. Sreenivas, T. (2018). The Demand for New states in Indian Federalism. International Journal of Science and Research, 7 (4), pages 836 – 842

[5]. Wikipedia (2023). https://en.m.wikipedia.org/wiki/States_Reorganisation_Commission.

[6]. चंद्र, बी. (2015). आजादी के बाद का भारत. दिल्ली विश्वविद्यालय